

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन,

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल, म0प्र0 - 462003

क्रमांक/ F-1/831/2021/10-11/ 1674

भोपाल, दिनांक 18-06-2025

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,  
लिंक रोड नं. 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय:- बालाघाट जिले के परिक्षेत्र खैरलांजी के वन कक्ष क्रमांक पीएफ-807 एवं पीएफ-809 के रकबा 28.02 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से मैगनीज और खनिज उत्खनन हेतु मेसर्स अर्पण फेरो एलाएस, बालाघाट को उपयोग पर देने बावत। ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/19894/2016

संदर्भ:- भारत सरकार, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 04/2022-बीएचओ/ दिनांक 03-11-2022

--0--

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 12 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी आवेदक संस्थान/वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है:-

| क्र0 | चाही गई जानकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रेषित जानकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Mining plan was approved in 1994. Fresh Lol was issued in 2015 for 20 years. Sanctity of the Mining Plan in light of revised Lol, change in the technological interventions, guidelines issued by the DGMS and IBM, etc. needs to be ascertained. It is also to mention that there has been a substantial change in the population of tiger and other wildlife population. Management strategies in terms of core and buffer areas, corridors and satellite population etc. have been given prime focus. In case these issues cannot be addressed by the mining plan prepared 28 years back, a new one may be required. | इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा जानकारी दी है कि माईनिंग प्लान वर्ष 1994 में IBM द्वारा निर्धारित फार्मेट अनुसार बनाकर स्वीकृत किया गया था। इसमें यदि किसी सुधार/ बदलाव की आवश्यकता हो तो आवेदक संस्थान इसके लिये वचनबद्ध है।<br>वर्तमान में IBM में आवेदक संस्था का पूर्व में स्वीकृत माईनिंग प्लान को दिनांक 09.06.2021 को रिवोक कर दिया है। जिस माईनिंग प्लान को रिवोकेशन से बहाल करने के लिये माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने आवेदक द्वारा एक याचिका दायर की गई है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।                                                                                                                                                   |
| 2    | It needs to be clarified if the land use proposed in the proposal is in conformity with the land use given in approved Mining Plan/proposed Mining Plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इस बिन्दु के पालन में आवेदक संस्था द्वारा Land Use प्रस्ताव में ऑनलाईन आवेदन में सुधार कर अपडेट कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3    | Original lease was proposed to be granted in the year 1994. No chronological background details could be traced in the proposal viz. whether mining lease was executed and mining operations undertaken, in case no execution of lease or mining operations undertaken, reason therefore, etc. needs to be intimated.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया है कि वर्ष 1994 में लीज स्वीकृत की गई थी, परन्तु यह लीज एग्रीमेंट वर्ष 2015 तक राजस्व एवं वन भूमि Confusion के कारण Execute नहीं हो पाया था। वर्ष 2015 में सरकार द्वारा वन व्यपवर्तन की कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। जिसके बाद से हम फॉरेस्ट क्लियरेंस की कार्यवाही नियमानुसार कर रहे हैं। 11 जनवरी, 2017 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार हम सरकार के साथ लीज एग्रीमेंट कर चुके हैं। वन अनुमति एवं पर्यावरणीय अनुमति से संबंधित सभी कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। इन कार्यवाहियों के पूर्ण होने तक हम माईनिंग कार्यों को करने में असमर्थ है। जैसे ही अनुमति मिलेगी माईनिंग कार्य कर पायेंगे। |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Proposal also needs to be examined in light of provisions of section 10 A 2 (c) of the MMDR Amendment Act, 2015                                                                                                                                 | इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था नियमानुसार निर्धारित सभी नियमों एवं मापदण्डों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु वचनबद्ध है।                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | Safety zone demarcation is not given, the same should be maintained in a strip of 7.5 meter wide along the inner boundary of mining lease and details of area involved therein may be indicated and submitted.                                  | इस बिन्दु के संबंध में सेफ्टी जोन हेतु 7.5 मीटर चौड़ाई पट्टी का प्रावधान कर नक्शे में सुधार कर अपलोड कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | Staff quarter which are non-site specific activities are proposed in the proposal for which UA has given undertaking that same will not be built.                                                                                               | इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा स्टॉप क्वार्टर के लिये निर्धारित जगह की मांग अब नहीं है, इसे प्रस्ताव में सुधार कर हटा दिया गया है। आवेदित क्षेत्र में किसी प्रकार के भवन निर्मित नहीं किये जायेंगे। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।                                 |
| 7  | As per SIR of DFO, there is presence of occasional movement of Tiger, Leopard, Jackal, Blue Bull, Cheetal, Python and Langoor etc. Thus, mitigation plan shall be submitted.                                                                    | इस बिन्दु के पालन में क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु राशि रु. 41.616 लाख की वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार की गई है, जिसे आवेदक संस्था के व्यय पर क्रियान्वयन किया जायेगा।                                                                                                                          |
| 8  | A stretch of 60 meter approach road (comp no 809) is not included in the proposal. Clarification/ rectification is required to be submitted.                                                                                                    | इस बिन्दु के संबंध में पूर्व में पहुंच मार्ग हेतु 0.62 हेक्टेयर वनभूमि प्रस्तावित की गई है, जो वन सीमा से प्रारम्भ होकर माईनिंग क्षेत्र तक जाती है। त्रुटि का सुधार कर नया नक्शा अपलोड कर दिया गया है।                                                                                                                        |
| 9  | From DSS analysis it is evident that this area is a comparatively bigger patch of forest situated at 23.49 km from Pench Tiger Reserve with smaller green patches in between shall be clarified.                                                | इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा सूचित किया है कि वन एवं पर्यावरण विभागों में वन व्यपवर्तन से संबंधित नियमानुसार सारी कार्यवाही की जा रही है एवं वन अधिनियम के अंतर्गत संस्थान द्वारा दिये गये सभी वायदों को पूरी तरह निभाने के लिये संस्थान वचनबद्ध है। इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही की प्रतियां संलग्न है। |
| 10 | Component like staff quarters which seems to be not site-specific, has also been proposed for diversion and is not permissible as per the relevant guidelines issued under the Forest (Conservation) Act, 1980. The same needs to be re-visited | इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था सहमत है। पूर्व बिन्दु क्रमांक-6 के अनुसार संस्था द्वारा वन क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।<br>ऑनलाईन प्रोपोजल में से भी स्टॉफ क्वार्टर संबंधित जगह की आवश्यकता को हटा कर प्रस्ताव में शीघ्र ही सुधार किया जा रहा है।                                |
| 11 | CA scheme for 10.00 ha DFL does not include maintenance for 10 years. It shall be rectified and resubmitted.                                                                                                                                    | इस बिन्दु के पालन में 10 हेक्टेयर बिगड़े वन की 11 वर्षीय रोपण योजना तैयार कर तकनीकी स्वीकृति सहित संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | An area of 1.0 ha has been proposed for siding which needs elaboration to comprehend the nature of siding proposed in the proposal                                                                                                              | इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव में सुधार कर इस स्थान को बढ़ाकर 2.00 हेक्टेयर किया गया है, इसे जल्द ही अपडेट किया जायेगा। इस स्थान पर संस्थान माइन्स से निकले हुये खनिज को एकत्र कर उसकी सारटिंग, ग्रेडिंग एवं डिसपेचिंग का कार्य किया जायेगा।                                                     |

उक्त प्रकरण पोर्टल पर वर्तमान में DELISTED प्रदर्शित हो रहा है। प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी प्राप्त कर संलग्न प्रेषित है। कृपया प्रकरण को रीओपन कर प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

  
(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18/06/2025

पृ० क्रमांक/ F-1/831/2021/10-11/ 1675

प्रतिलिपि-

1. वन महानिरीक्षक (एफ.सी.) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली -110003
  2. मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
  3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, दक्षिण बालाघाट, मध्यप्रदेश।
  4. मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, कोसमी, बालाघाट, मध्यप्रदेश-481001
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

1/11345/2022



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &amp; CLIMATE CHANGE

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,

BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in



क्रमांक: 6-एमपीआर 04/2022-बीएचओ/

दिनांक : 03-11-2022

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)  
मध्यप्रदेश शासन,  
वल्लभ भवन, भोपाल,  
(मध्यप्रदेश)।

विषय: बालाघाट जिले के परिक्षेत्र खैरलांजी के वनकक्ष क्रमांक पीएफ-807 एवं पीएफ-809 के रकबा 28.02 हेक्टर संरक्षित वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से मैंगनीज और खनिज उत्खनन हेतु मेसर्स अर्पण फेरो एलाएस, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ: 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. का पत्र क्रमांक एफ-1/831/2021/10-11/2211 दिनांक 22/6/22.

2. आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्रमांक 6-REC 10/2014-BHO/Part-III/141 दिनांक 04/05/2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक 29/04/2022 एवं कार्यवृत्त दिनांक 04/05/2022(संदर्भित पत्र-3) उपरांत आगामी कार्यवाही हेतु मंत्रालय, नई दिल्ली प्रेषित किया गया था। मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अन्य वांछित जानकारियाँ/स्पष्टीकरण चाही गयी है। अतः निम्नलिखित जानकारियाँ/ दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

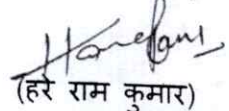
1. Mining plan was approved in 1994. Fresh LoI was issued in 2015 for 20 years. Sanctity of the Mining Plan in light of revised LoI, change in the technological interventions, guidelines issued by the DGMS and IBM, etc. needs to be ascertained. It is also to mention that there has been a substantial change in the population of tiger and other wildlife population. Management strategies in terms of core and buffer areas, corridors and satellite population etc have been given prime focus. In case these issues cannot be addressed by the mining plan prepared 28 years back, a new one may be required.
2. It needs to be clarified if the land use proposed in the proposal is in conformity with the land use given in approved Mining Plan/proposed Mining Plan.
3. Original lease was proposed to be granted in the year 1994. No chronological background details could be traced in the proposal viz. whether mining lease was executed and mining operations undertaken, in

case no execution of lease or minng operations undertaken, reason therefore, etc. needs to intimated.

4. Proposal also needs to be examined in light of provisions of section 10 A 2 (c) of the MMDR Amendment Act, 2015
5. Safety zone demarcation is not given, the same should be maintained in a strip of 7.5 meter wide along the inner boundary of mining lease and details of area involved therein may be indicated and submitted.
6. Staff quarter which are non-site specific activities are proposed in the proposal for which UA has given undertaking that same will not be built.
7. As per SIR of DFO, there is presence of occasional movement of Tiger, Leopard, Jackal, Blue Bull, Cheetal, Python and Langoor etc. Thus, mitigation plan shall be submitted.
8. A stretch of 60 meter approach road (comp no 809) is not included in the proposal. Clarification/ rectification is required to be submitted.
9. From DSS analysis it is evident that this area is a comparatively bigger patch of forest situated at 23.49 km from Pench Tiger Reserve with smaller green patches in between shall be clarified.
10. Component like staff quarters which seems to be not site-specific, has also been proposed for diversion and is not permissible as per the relevant guidelines issued under the Forest (Conservation) Act, 1980. The same needs to be re-visited
11. CA scheme for 10.00 ha DFL does not include maintenance for 10 years. It shall be rectified and resubmitted.
12. An area of 1.0 ha has been proposed for siding which needs elaboration to comprehend the nature of siding proposed in the proposal

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

  
(हरे राम कुमार)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल।

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल**

क्रमांक / एफ-1 / 2025 / 10-11 / 1678  
प्रति,

भोपाल दिनांक 18/06/2025

टेक्निकल डायरेक्टर, एन.आई.सी.,  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
कमरा नं. ए-338, तृतीय तल, अग्नि ब्लॉक,  
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग मार्ग,  
नई दिल्ली-110003.

**विषय—Online Proposal No. FP/MP/MIN/19894/2016 (Arpan Ferro Alloys)**

संदर्भ—आवेदक संस्थान Arpan Ferro Alloys का पत्र दिनांक

—0—

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।  
संदर्भित पत्र से आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण FP/MP/MIN/19894/2016 (Arpan Ferro Alloys) को परिवेश पोर्टल 1.0 पर पुनः सूचीबद्ध (relist) करने का अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त DELISTED प्रकरण को पुनः सूचीबद्ध (Relist) करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आवेदक विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही अपलोड की जा सके।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

  
(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

**ARPAN FERRO ALLOYS**  
**MANUFACTURER OF FERRO MANGANESE**

Reg Add: C/o Ramdev Food Products, Gondia Road, Kosmi, Balaghat, 481001

Email id: arpanferroalloys531@gmail.com

Ph. No.: 9425138765, 9399719481

18/6/2025

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

**विषय—Online Proposal No. FP/MP/MIN/19894/2016 (Arpan Ferro Alloys)**

—0—

विषयांतर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण FP/MP/MIN/19894/2016 (Arpan Ferro Alloys) परिवेश 1.0 का है। वर्तमान में यह DELISTED (due to non-reply of EDS by UA within 90 days) हो गया है, जिस कारण यह प्रकरण आवेदक के login ID में edit mode में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिस कारण प्रकरण आगे forwarded नहीं हो पा रहा है।

अतः निवेदन है कि प्रकरण क्रमांक FP/MP/MIN/19894/2016 को पुनः आनलाईन Reopen करने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में कार्यवाही की जा सके।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

*Handwritten signature*  
18/6/25

*Handwritten signature*

अर्पण फेरो एलायस

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्य प्रदेश

भू-तल, सी-ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड़ नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

दूरभाष : 0755-2674248, 2524275, फ़ैक्स : 0755-2674206 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/व.प्रा./वतअ-1/MINE-205/१२३२

भोपाल, दिनांक १८-१०-२०२५

प्रति,

श्री अनिल चतुरमोहता,  
मेसर्स अर्पण फ़ेरो एलायंस बालाघाट,  
गोंदिया रोड़, कोसमी बालाघाट-481001

विषय :- मेसर्स अर्पण फ़ेरो एलायंस बालाघाट का दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट के परिक्षेत्र खैरलांजी के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 807 एवं 809 में रकबा 28.02 हे. वनभूमि में मैगनीज ओर खनन हेतु वनभूमि के व्यपवर्तन के ऑन लाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MINE/19894/2016 में वन्यजीव संरक्षण योजना।

संदर्भ :- आपका पत्र दिनांक 15.05.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट का पत्र क्रमांक/तक.कक्ष/1371 दिनांक 26.09.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से आपके द्वारा मेसर्स अर्पण फ़ेरो एलायंस बालाघाट के दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट के परिक्षेत्र खैरलांजी के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 807 एवं 809 में रकबा 28.02 हेक्टेयर वनभूमि में मैगनीज ओर खनन हेतु वनभूमि के व्यपवर्तन के ऑन लाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MINE/19894/2016 के संबंध में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/2807/SEIAA/2024 दिनांक 12.02.2024 से सशर्त स्वीकृति प्रदाय की गई है। इस स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक-II की शर्त (xxviii) तथा शर्त III मानक शर्त क्रमांक 27 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित मैगनीज माइन के आस-पास फ़्लोरा-फ़ॉना पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु क्षेत्र में पाये जाने वाले फ़्लोरा-फ़ॉना की सूची संलग्न कर तथा 10 वर्षों के लिए रुपये 34.00 लाख की वन्यजीव संरक्षण योजना मेसर्स ACHYUT ENVIRO CONSULTANT, Nagpur से तैयार कराकर इस कार्यालय के अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई थी। उक्त वन्यजीव संरक्षण योजना का वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट के पत्र क्रमांक/तकनीकी/1183 दिनांक 17.09.2024 से सूक्ष्म परीक्षण कर मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त को प्रेषित की गई। जिसे मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 26.09.2024 से रुपये 41.616 की 05 वर्षों की वन्यजीव संरक्षण योजना अनुशंसा सहित इस कार्यालय के अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई थी। प्रस्तावित संशोधित वन्यजीव संरक्षण योजना Miscellaneous Administration and Monitoring expenses (@2% of the total costs तथा Escalation cost and unforeseen expenditure @20% of total costs का प्रावधान कर 05 वर्षों के लिए रुपये 41.616 लाख का प्रावधान किया गया है।

प्रकरण मे वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट एवं मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त द्वारा उक्त वन्यजीव संरक्षण योजना में 05 वर्षों के लिए प्रावधानित कार्यों एवं रुपये 41.616 लाख राशि की अनुशंसा की गई है, जिसके मुख्य घटक एवं प्रावधानित राशि निम्नानुसार है:-

| Sr. No.   | Particulars                                                                                                                                                                                 | Year wise Financial Projections (Rs. in Lacs) |             |             |             |             |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                             | I                                             | II          | III         | IV          | V           | Total         |
| <b>1.</b> | <b>Habitat improvement &amp; mitigative measures</b>                                                                                                                                        |                                               |             |             |             |             |               |
| a)        | Habitat Improvement by development of vegetation cover by plantation with suitable species.                                                                                                 | 1.20                                          | 1.20        | 1.20        | 1.20        | 1.20        | 6.00          |
| b)        | Biological fence (Bamboo species, Euphorbia sp., Agave americana, etc.) around the habitation and around the agriculture fields adjoining to forest area to control human wildlife conflict | 0.80                                          | 0.80        | 0.80        | 0.80        | 0.80        | 4.00          |
| c)        | Prevention of Forest Fire: Training and Infrastructure facilities                                                                                                                           | 0.40                                          | 0.40        | 0.40        | 0.40        | 0.40        | 2.00          |
| d)        | Construction and filling of water holes and ponds in wildlife habitat.                                                                                                                      | 1.00                                          | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 5.00          |
| <b>2.</b> | <b>Awareness and Extension</b>                                                                                                                                                              |                                               |             |             |             |             |               |
| a)        | Training and capacity building for volunteers and officials of forest department                                                                                                            | 0.68                                          | 0.68        | 0.68        | 0.68        | 0.68        | 3.40          |
| <b>3.</b> | <b>Support to Forest Department for monitoring, rescue &amp; rehabilitation of wildlife</b>                                                                                                 |                                               |             |             |             |             |               |
| a)        | Support/Provision of veterinary care, cages, recuse centers, etc.                                                                                                                           | 0.68                                          | 0.68        | 0.68        | 0.68        | 0.68        | 3.40          |
| <b>4.</b> | <b>Contribution towards conservation of wildlife in PAS</b>                                                                                                                                 |                                               |             |             |             |             |               |
| a)        | Contribution towards conservation of wildlife in PAS                                                                                                                                        | 0.68                                          | 0.68        | 0.68        | 0.68        | 0.68        | 3.40          |
| <b>5.</b> | <b>Administrative Cost for processing inspections etc. (To be deposited in RPACS)</b>                                                                                                       |                                               |             |             |             |             |               |
|           | Administrative Cost for processing inspections etc                                                                                                                                          | 0.68                                          | 0.68        | 0.68        | 0.68        | 0.68        | 3.40          |
| <b>6.</b> | <b>Miscellaneous including Eco- development</b>                                                                                                                                             |                                               |             |             |             |             |               |
| a)        | Miscellaneous including Eco- development                                                                                                                                                    | 0.68                                          | 0.68        | 0.68        | 0.68        | 0.68        | 3.40          |
|           | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                | <b>6.8</b>                                    | <b>6.8</b>  | <b>6.8</b>  | <b>6.8</b>  | <b>6.8</b>  | <b>34.00</b>  |
| b)        | <b>Miscellaneous Administrative &amp; Monitoring Expenses</b>                                                                                                                               |                                               |             |             |             |             |               |
|           | Miscellaneous Administrative & Monitoring Expenses (2% of project cost)                                                                                                                     | 0.68                                          | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.68          |
| c)        | <b>Escalation Cost &amp; Unforeseen</b>                                                                                                                                                     |                                               |             |             |             |             |               |
|           | Escalation Cost & Unforeseen (20% of project cost)                                                                                                                                          | 6.936                                         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 6.936         |
|           | <b>Grand Total</b>                                                                                                                                                                          | <b>14.416</b>                                 | <b>6.80</b> | <b>6.80</b> | <b>6.80</b> | <b>6.80</b> | <b>41.616</b> |

वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट एवं मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट द्वारा अनुशंसित वन्यजीव संरक्षण योजना के पृष्ठ क्रमांक 36 से 45 में उल्लेखित फ्लोरा-फौना की सूची एवं उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिये वन्यजीवों के संरक्षण प्रबंधन हेतु पृष्ठ क्रमांक 71 से 73 पर दर्शाये गये कार्यों के लिए रुपये 41.616 लाख की 05 वर्षों की वन्यजीव संरक्षण योजना का अनुमोदन किया जाता है। उक्त अनुमोदित वन्यजीव संरक्षण योजना की एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त एवं एक प्रति वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट को उपलब्ध कराये।

प्रकरण में भारत सरकार/राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति उपरांत समय-सीमा में वन्यजीव संरक्षण योजना में वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु वन विभाग द्वारा कराये जाने वाले प्रावधानित कार्यों हेतु योजना में प्रावधानित राशि रुपये 41.616 लाख (रुपये इकतालीस लाख छह सौ सोलह मात्र) एक मुश्त कैम्पा मद में जमा करायी जाकर वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल एवं इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे तथा आपके द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करायेगें।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।

18/10/2024  
(व्ही.एन. अम्बाडे)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं  
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र.  
भोपाल, दिनांक 18-10-2024

पृ० क्रमांक/व.प्रा./वतअ.-1/MINE-205/ 3233  
प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, SEIAA Madhya Pradesh पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल -462016 की ओर उनके पत्र दिनांक 12.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आपके स्तर से जारी अंतिम अनुमति में अनुमोदित वन्यजीव संरक्षण योजना में प्रावधानित राशि रुपये 41.616 लाख आवेदक संस्था द्वारा वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट को एक मुश्त उपलब्ध कराने एवं कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराये जाने की शर्त अधिरोपित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट की ओर अनुमोदित वन्यजीव संरक्षण योजना की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट की ओर उक्त अनुमोदित वन्यजीव संरक्षण योजना की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रकरण में भारत सरकार/राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति के उपरांत माइन प्रारंभ होने के पूर्व वन्यजीव संरक्षण योजना में वन विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए प्रावधानित राशि एक मुश्त राशि आवेदक संस्था से प्राप्त कर प्रावधानित कार्यों का समय सीमा में क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें तथा तत्संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराया जावे।

18/10/2024  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं  
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
23-10



# कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं.-(07632-248414)

email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/तकनीकी/ 3154  
प्रति,

बालाघाट दिनांक 26/05/2025

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(भू-प्रबंध)  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:-

वनमंडल दक्षिण बालाघाट के वन परिक्षेत्र खैरलांजी के वनकक्ष क्रमांक पी.एफ.- 807 एवं पी.एफ.- 809 के रकबा 28.02 हे० वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से मेंगनीज ओर खनिज उत्खनन का मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, बालाघाट का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/MIN/19894/2016

संदर्भ :-

- (1) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPR04/2022-BHO/ दिनांक 03.11.2022
- (2) कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-1/831/2021/10-11/3752, 3753 दिनांक 07.11.2022 एवं पत्र क्रमांक/एफ-1/831/2021/10-11/5783, 5784 दिनांक 27.11.2024

—00—

निवेदन है, कि विषयांतर्गत संबंध में उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक (1) एवं पत्र क्रमांक (2) से प्रकरण में 12 बिन्दुओं की जानकारी जिसमें बिन्दु क्रमांक 1 से 10 एवं 12 की जानकारी आवेदक संस्थान- मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, कोसमी, बालाघाट सं चाही गई है, जिसके संबंध में उनके द्वारा पत्र दिनांक 12.05.2025 से वन मुख्यालय भोपाल को पत्र लेख कर जानकारी भेजते हुये प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो अवलोकनार्थ संलग्न सम्प्रेषित है। तथा विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र क्रमांक (2) में दिये गये निर्देश के परिपालन में वांछित बिन्दु क्रमांक 11 अन्तर्गत जानकारी वन मुख्यालय भोपाल की ओर इस कार्यालय के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./9435 दिनांक 28.12.2022 द्वारा 10.000 हेक्टेयर बिगडे वनक्षेत्र की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वन परिक्षेत्र खैरलांजी के बीट हथोडा के वनकक्ष क्रमांक 805 में चयनित स्थल की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्राक्कलन) संलग्न सम्प्रेषित की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु उपर्युक्त प्रेषित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की प्रति संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(अधर गुप्ता)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट  
म.प्र.

बालाघाट, दिनांक 26/05/2025

पृष्ठा. क्रमांक/तकनीकी/ 3155

प्रतिलिपि :-

- (1) वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- (2) मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, कोसमी, बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित पत्र जिसकी प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित एवं संबोधित प्रेषित है के तारतम्य में एवं इस कार्यालय के पत्र पृ.क्रमांक/मा.चि./9436 दिनांक 28.11.2022 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्य प्रदेश, भोपाल

(अधर गुप्ता)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट  
म.प्र.

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



क्रमांक/मा.चि./  
प्रति,

9435

दूरभाष नं.-(07632-24841-1)  
email - dfotsbghat@mp.gov.in

बालाघाट, दिनांक 28/12/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
(भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:-

संदर्भ :-

वनमंडल दक्षिण बालाघाट के वन परिक्षेत्र खैरलांजी के वन कक्ष क्रमांक PF-307 & PF-809 के रकबा 28.02 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से मैंगनीज ओर खनिज उत्खनन का मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, बालाघाट का ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/MIN/19894/2016 आपका पत्र क्रमांक/एफ-1/831/2021/10-11/3752, 3753 दिनांक 07.11.2022

—00—

निवेदन है, कि विषयांतर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में वांछित बिन्दु क्रमांक 11 अन्तर्गत रकबा 10.00 हेक्टेयर बिगड़े वन क्षेत्र की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना, वन परिक्षेत्र खैरलांजी के बीट हथौडा के वनकक्ष क्रमांक 805 में चयनित स्थल की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्राक्कलन) निर्धारित प्रपत्र प्रारूप में 02 प्रतियों में अवलोकनार्थ संलग्न सादर सम्प्रेषित है।  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।  
(11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना 02 प्रतियों में)

(ग्रेजेश कुमार वरकडे)  
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट  
मध्यप्रदेश, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 28/12/2022

पृष्ठा. क्रमांक/मा.चि./  
प्रतिलिपि :-

9436

1. वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/831/2021/10-11/3752, 3753 दिनांक 07.11.2022 जिसकी प्रतिलिपि आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में उपरोक्तानुसार 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की 01 प्रति अवलोकनार्थ संलग्न सादर सम्प्रेषित है।
2. मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, कोसमी, बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र, जिसकी प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।  
(क्रमांक 1 हेतु)

(ग्रेजेश कुमार वरकडे)  
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट  
मध्यप्रदेश, बालाघाट

OK

# कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं- (07632-248414)  
email - dfatsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/मा.वि./  
प्रति. 4813

बालाघाट, दिनांक 15/06/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
(भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
विषय:- वनमंडल दक्षिण बालाघाट के वन परिक्षेत्र खैरलाजी के वन कक्ष क्रमांक PF-807 & PF-809 के रकबा 28.02 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से मंगनीज ओर खनिज उत्खनन का मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, बालाघाट का ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/MIN/19894/2016  
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/एफ-1/831/2021/10-11/1657, दिनांक 10.05.2022 एवं पत्र क्रमांक/एफ-1/831/2021/10-11/1696, दिनांक 12.05.2022

—00—

निवेदन है, कि विषयांतर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में बांछित जानकारी एवं प्रतिवेदन संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी खैरलाजी (सा.) परिक्षेत्र द्वारा उनके पत्र क्रमांक 391, दिनांक 25.05.2022 एवं पत्र क्रमांक 404 दिनांक 02.06.2022 तथा उपवनमंडल अधिकारी कटनी (सा.) उपवनमंडल द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1223 दिनांक 26.05.2022 एवं पत्र क्रमांक 1296 दिनांक 06.06.2022 से संदर्भित पत्र द्वारा बांछित बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 की जानकारी प्रेषित की गई है, जिसमें बिन्दु क्रमांक 1 अन्तर्गत प्रकरण में रकबा 10.00 हेक्टेयर बिगड़े वन क्षेत्र में 10,000 पौधे रोपित करने हेतु वन परिक्षेत्र खैरलाजी के बीट हथौडा के कक्ष क्रमांक 805 में चयनित स्थल की 11 वर्षीय वनीकरण योजना (प्राक्कलन) निर्धारित प्रपत्र प्रारूप में प्रेषित की गई है। जिसमें मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त बालाघाट (म.प्र.) द्वारा उक्त वनीकरण योजना में तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक/व्यय/321 बालाघाट दिनांक 14.06.2022 जारी किया गया है, जो उक्त योजना सहित अवलोकनार्थ सलग्न सम्प्रेषित है।

तथा संदर्भित पत्र द्वारा बांछित 02 बिन्दुओं पर जानकारी टेबुलर फार्म में निम्नानुसार अवलोकनार्थ सम्प्रेषित है :-

| बिन्दु क्रमांक                                                                          | जानकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                |                                  |                   |                 |                   |   |                                        |           |                |                                  |     |   |                                              |           |                                  |     |   |                                          |           |                                  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|----------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----|---|------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 1. CA Scheme for 10.00 ha degraded forest land shall submitted.                         | उक्त दर्शित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देश के परिपालन में उपरोक्तानुसार बांछित वन परिक्षेत्र खैरलाजी (सा.) परिक्षेत्र के बीट हथौडा के कक्ष क्रमांक 805 में 10.00 हेक्टेयर चयनित स्थल की 11 वर्षीय रोपण योजना, मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त बालाघाट (म.प्र.) द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक/व्यय/321 बालाघाट दिनांक 14.06.2022 सहित योजना 02 प्रति में अवलोकनार्थ सलग्न सम्प्रेषित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                |                                  |                   |                 |                   |   |                                        |           |                |                                  |     |   |                                              |           |                                  |     |   |                                          |           |                                  |     |
| 2. Status of mining (legal as well as illegal) in adjacent forest and non-forest areas. | <p>दर्शित बिन्दु के संबंध में प्रस्तावित मंगनीज ओर खनिज उत्खनन स्थल (वन कक्ष क्रमांक PF-807 &amp; PF-809 के रकबा 28.02 हेक्टेयर) के समीप निम्न खदान स्थित है :-</p> <table border="1"><thead><tr><th>क्र.</th><th>माईन्स का नाम</th><th>प्रस्तावित स्थल से दूरी</th><th>अवस्थिति</th><th>अक्षांश-देशांतर</th><th>स्थिति (वैध/अवैध)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>मेसर्स डी.पी. राय, मंगनीज खदान मिरगपुर</td><td>3756 मीटर</td><td rowspan="3">पूर्व दिशा में</td><td>N 21°37'56.58"<br/>E 79°49'55.45"</td><td>वैध</td></tr><tr><td>2</td><td>मेसर्स राजेन्द्र देशमुख, मंगनीज खदान मिरगपुर</td><td>3879 मीटर</td><td>N 21°37'54.47"<br/>E 79°50'18.93"</td><td>वैध</td></tr><tr><td>3</td><td>मेसर्स डी.पी. राय, मंगनीज खदान पांडरवानी</td><td>3493 मीटर</td><td>N 21°37'33.96"<br/>E 79°50'36.52"</td><td>वैध</td></tr></tbody></table> | क्र.                    | माईन्स का नाम  | प्रस्तावित स्थल से दूरी          | अवस्थिति          | अक्षांश-देशांतर | स्थिति (वैध/अवैध) | 1 | मेसर्स डी.पी. राय, मंगनीज खदान मिरगपुर | 3756 मीटर | पूर्व दिशा में | N 21°37'56.58"<br>E 79°49'55.45" | वैध | 2 | मेसर्स राजेन्द्र देशमुख, मंगनीज खदान मिरगपुर | 3879 मीटर | N 21°37'54.47"<br>E 79°50'18.93" | वैध | 3 | मेसर्स डी.पी. राय, मंगनीज खदान पांडरवानी | 3493 मीटर | N 21°37'33.96"<br>E 79°50'36.52" | वैध |
| क्र.                                                                                    | माईन्स का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रस्तावित स्थल से दूरी | अवस्थिति       | अक्षांश-देशांतर                  | स्थिति (वैध/अवैध) |                 |                   |   |                                        |           |                |                                  |     |   |                                              |           |                                  |     |   |                                          |           |                                  |     |
| 1                                                                                       | मेसर्स डी.पी. राय, मंगनीज खदान मिरगपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3756 मीटर               | पूर्व दिशा में | N 21°37'56.58"<br>E 79°49'55.45" | वैध               |                 |                   |   |                                        |           |                |                                  |     |   |                                              |           |                                  |     |   |                                          |           |                                  |     |
| 2                                                                                       | मेसर्स राजेन्द्र देशमुख, मंगनीज खदान मिरगपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3879 मीटर               |                | N 21°37'54.47"<br>E 79°50'18.93" | वैध               |                 |                   |   |                                        |           |                |                                  |     |   |                                              |           |                                  |     |   |                                          |           |                                  |     |
| 3                                                                                       | मेसर्स डी.पी. राय, मंगनीज खदान पांडरवानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3493 मीटर               |                | N 21°37'33.96"<br>E 79°50'36.52" | वैध               |                 |                   |   |                                        |           |                |                                  |     |   |                                              |           |                                  |     |   |                                          |           |                                  |     |

सलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सलग्न :- उपरोक्तानुसार।  
(जानकारी 02 प्रतियों में)

(प्रजेश कुमार वरकडे)  
भा.व.स.

वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण बालाघाट  
दक्षिण म.प्र. वनमंडल, बालाघाट

97C

पृष्ठा क्रमांक/मा.चि./ 4814  
प्रतिलिपि :-

बालाघाट, दिनांक 15/06/2022

1. मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/831/2021/10-11/1657, दिनांक 10.05.2022, एवं पत्र क्रमांक/एफ-1/831/2021/10-11/1696, दिनांक 12.05.2022 जिसकी प्रतिलिपि आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, तथा आपके प्रेषित पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/डी.एम./2080 दिनांक 20.05.2022 एवं पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/व्यय/2411 दिनांक 14.06.2022 के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. उपवनमंडलाधिकारी कटंगी (सा.) उपवनमंडल की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भांकित संबंध में आपके प्रेषित पत्र प्रतिवेदन क्रमांक 1223 दिनांक 26.05.2022 एवं पत्र क्रमांक 1296 दिनांक 06.06.2022 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी, खैरलाजी (सा.) परिक्षेत्र की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भांकित संबंध में आपके प्रेषित पत्र प्रतिवेदन क्रमांक 391 दिनांक 25.05.2022 एवं पत्र क्रमांक 404 दिनांक 02.06.2022 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. मेसर्स अर्पण फेरो एलायंस, कोसमी, बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्रों जिसकी प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।

(ग्रेजेश कुमार वरकडे)  
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट  
रम. वनमंडल, बालाघाट



आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक  
बालाघाट वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश - 481001

Email- cfbalaghat@mpforest.org, दूरभाष : 07632-241201 फैक्स : 07632-240268

आदेश क्रमांक/व्यय/32/

बालाघाट, दिनांक 14/6/22

--आदेश--

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03 नियम/चार दिनांक 03.09.2003 (युक्त ऑफ फाइनेंशियल पावर्स वाल्यूम-2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र पृ.क्रमांक/एफ-1/831/2021-10-11/1658 दिनांक 10.05.2022 एवं 1697 दिनांक 12.05.2022 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2(II) दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट के खैरलांजी वन परिक्षेत्र वन कक्ष क्रमांक PF-807 एवं PF-809 के रकबा 28.02 हे. में ओपन कास्ट पद्धति से मैंगनीज ओर खनिज उत्खनन कार्य हेतु आवेदक मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, बालाघाट के ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/19894/2016 के परिपालन में प्रकरण के एवज में वन परिक्षेत्र खैरलांजी सामान्य के अन्तर्गत बिगड़े वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 805 बीट हथौडा में 10.00 हेक्टेयर क्षेत्र में 11 वर्षीय (वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना के तहत मिश्रित वृक्षारोपण कार्य (असिंचित)की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्य का विवरण

| अ. क्र. | कार्य का नाम एवं स्थल                          | परिक्षेत्र का नाम | गैरवनभूमि का विवरण |            |                        |              | प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य (रु. में) | प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत (रु. में) |
|---------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                |                   | कक्ष क्रमांक       | बीट का नाम | कार्य का रकबा हेक्टेयर | समिति का नाम |                                           |                                          |
| 1       | 2                                              | 3                 | 4                  | 5          | 6                      | 7            | 8                                         | 9                                        |
| 1       | बिगड़े वन क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना | खैरलांजी          | 805                | हथौडा      | 10.00                  | हथौडा        | 3311185                                   | 8639964                                  |

- कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे।
- उक्त रोपण हेतु स्थानीय प्रजातियों का चयन कर रोपण किया जावे।
- स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट राशि का व्यय स्वीकृत नामर्स, जाबदर एवं उपलब्ध बजट आवंटन तक सीमित रहेंगा। उपरोक्त कार्य के संपादन के पूर्व कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों का भलीभांति अवलोकन किया जाये, किसी भी परिस्थिति में कार्य आयोजना से विचलन होने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कार्य का संपादन न कराया जाये।

स्वीकृत पंजी पृष्ठ क्रमांक ..... अ.क्र. .... इन्द्राज किया गया।

(नरेन्द्र कुमार सनोडिया)  
भा.व.से.

मुख्य वनसंरक्षक

(बालाघाट वनवृत्त म.प्र.)  
बालाघाट, दिनांक 14.06.2022

पृष्ठा. क्रमांक/व्यय/24/11

प्रतिलिपि :-1 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष- भू- प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

संलग्न- प्राक्कलन एवं मानचित्र

2 वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट की ओर आपके पत्र क्रमांक/मा.शि. /1167 दिनांक 10.06.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्राक्कलन 3 प्रति में ।

मुख्य वनसंरक्षक

(बालाघाट वनवृत्त म.प्र.)

# कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, खैरलाँजी (सा0) परिक्षेत्र

E-mail :- Rotkhairlanji@mp.gov.in

पत्र क्रमांक-404

:- 9424790207

खैरलाँजी, दिनांक-02/06/2022

प्रति,

श्रीमान वनमंडलाधिकारी महोदय,  
दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट

द्वारा :-

विषय :-

संदर्भ :-

श्रीमान उपवनमंडलाधिकारी महोदय, उपवनमंडल कटंगी (सा.)।

क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रेषित चयनित कक्ष क्रमांक 805 बीट हथोडा रोपण रकबा 10.00 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण हेतु 11 वर्षीय वृक्षारोपण प्रोजेक्ट के संबंध में।

आपका पत्र क्र./मा.चि./4341 बालाघाट, दिनांक 31.05.2022

—00—

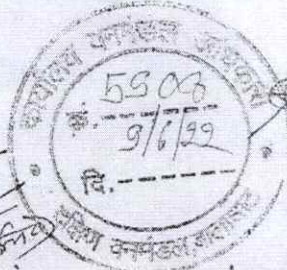
विषयांतर्गत निवेदन है, कि वनमंडल दक्षिण बालाघाट के वन परिक्षेत्र खैरलाँजी के वनकक्ष क्रमांक PF-807 & PF-809 के रकबा 28.02 हे. वन भूमि में ओपन कास्ट पद्धति से मैंगनीज ओर खनिज उत्खनन के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल कक्ष क्रमांक 805 बीट हथोडा रोपण रकबा 10 हे. क्षेत्र में रोपण हेतु 11 वर्षीय पूर्व में प्रेषित विस्तृत प्राक्कलन में आपके द्वारा लिये गये आक्षेपों की पूर्ति कर पुनः प्राक्कलन तैयार कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- प्राक्कलन (05 प्रतियों में)

कार्यालय उपवनमंडल अधिकारी  
कटंगी (सा.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
खैरलाँजी (सा0) परिक्षेत्र

क्र. 1296 कटंगी, दिनांक 01/6/22



मूलतः वनमंडल अधिकारी, दक्षिण दक्षिण वनमंडल  
बालाघाट की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

उपवनमंडल अधिकारी  
कटंगी (सा.) उपवनमंडल

# मध्यप्रदेश—शासन

## वन विभाग

### क्षतिपूरक वृक्षारोपण

परियोजना का नाम

—दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट अन्तर्गत वन परिक्षेत्र खैरलांजी के संरक्षित वनखण्ड मोहगांव घाट के वनकक्ष क्रमांक 807, 809 में आवेदित रकबा 28.02 हे. (69.22 एकड़) वन भूमि में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 (II) के अन्तर्गत मैंगनीज और खनिज के उत्खनन हेतु वनभूमि व्यवर्तन की नियमानुसार शासन अनुमति प्रदान करने हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/19894/2016

#### वैकल्पिक वृक्षारोपण— 2023—24

योजना की अवधि

— 2023—24 से 2033—34

वनमण्डल

— दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट

परिक्षेत्र

— खैरलांजी सामान्य

बीट का नाम

— हथोडा

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित

प्रस्तावित रोपण स्थल रकबा

— 10.000 हेक्टेयर (वन भूमि)

कक्ष क्रमांक

— 805

वन समिति का नाम

— ग्राम वन समिति हथोडा

प्रस्तावित प्रोजेक्ट की कुल लागत राशि — रु. 7854513/-

## वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का प्रारूप

### 1. सामान्य विवरण

#### 1. परियोजना का विवरण (अ) परियोजना का नाम

—दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट अन्तर्गत वन परिक्षेत्र खैरलांजी के संरक्षित वनखण्ड मोहगांव घाट के वनकक्ष क्रमांक 807, 809 में आवेदित रकबा 28.02 हे. (69.22 एकड़) वन भूमि में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 (II) के अन्तर्गत मैंगनीज और खनिज के उत्खनन हेतु वनभूमि व्यवर्तन की नियमानुसार शासन अनुमति प्रदान करने हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/19894/2016 आवेदक मसर्स अर्पण फेरो एलायंस कोसमी (म.प्र.)

(ब) भारत सरकार का अनुमोदन क्रं.—

(स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण —

दक्षिण सामान्य वनमंडल अन्तर्गत वन परिक्षेत्र खैरलांजी के संरक्षित वनखण्ड मोहगांव घाट के वनकक्ष क्रमांक 807, 809 में आवेदित रकबा 28.02 हे. (69.22 एकड़) वनभूमि में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 (II) के अन्तर्गत मैंगनीज और खनिज के उत्खनन हेतु वनभूमि

2. जिला
3. वनमण्डल
4. परिक्षेत्र
5. तहसील
6. विकासखण्ड
7. विधानसभा क्षेत्र
8. ग्राम पंचायत
9. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त
10. क्षेत्रीय परिसर (बीट)

- बालाघाट
- दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट
- खैरलांजी सामान्य
- तिरोडी
- कटंगी
- कटंगी
- हथोडा
- मिरगपुर
- हथोडा

## 2- स्थल विशेष जानकारी

1. वन सुरक्षा समिति — ग्राम वन समिति हथोडा
2. वनखण्ड एवं कक्ष क्रमांक/ख.नं. — बोरी (हमेशा) कक्ष क्रमांक 805
3. कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
  - i. वन भूमि — 10.00 हेक्टेयर
4. कार्य वृत्त — आर.डी.एफ.
5. उपचार श्रेणी/पातन श्रेणी — हथोडा
6. उपचार इकाई/कूप क्रमांक ड्यू वर्ष —

| वर्ष | कूप क्रं. |
|------|-----------|
| —    | -         |

7. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी — 25 किमी.
8. कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी :-

| वर्ष | योजना  | क्षेत्रफल | वर्तमान स्थिति |
|------|--------|-----------|----------------|
| 2021 | मनरेगा | 10 हे.    | सफल            |

9. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण —
  - (ए) योजना — निरंक
  - (बी) वर्ष — निरंक
  - (सी) क्षेत्रफल — निरंक
  - (डी) प्रजाति — निरंक
  - (ई) वृक्षारोपण असफलता के कारण —
  - (एफ) वृक्षारोपण उल्लेखन का विवरण —
10. गठित समिति का प्रकार — ग्राम वन समिति
11. समिति का मुख्यालय — हथोडा
12. समिति में सम्मिलित गाँव — हथोडा
13. समिति के अध्यक्ष का नाम — 1. श्री ओमप्रकाश कोहरे  
— 2. श्रीमति शकुन्तला गौतम
14. वनरक्षक का नाम — श्री अजय अर्जे व.र.
15. परिक्षेत्र सहायक का नाम — श्री दिलीप उके उप.व.क्षे.

# 16. समिति (हथोडा) के सदस्यों की जानकारी

|          | लघु कृषक |     |     | सीमांत कृषक |     |     | भूमिहिन |     |     | अन्य |    |     | योग |     |     |
|----------|----------|-----|-----|-------------|-----|-----|---------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|
|          | पु०      | म०  | यो० | पु०         | म०  | यो० | पु०     | म०  | यो० | पु०  | म० | यो० | पु० | म०  | यो० |
| आदिवासी  | 10       | 10  | 20  | 25          | 15  | 40  | 60      | 50  | 110 | —    | —  | —   | 95  | 75  | 170 |
| हरिजन    | 80       | 56  | 136 | 25          | 15  | 40  | 10      | 10  | 20  | —    | —  | —   | 115 | 81  | 196 |
| पि० वर्ग | 100      | 105 | 205 | 163         | 100 | 263 | 65      | 75  | 140 | —    | —  | —   | 328 | 280 | 608 |
| सामान्य  | —        | —   | —   | —           | —   | —   | —       | —   | —   | —    | —  | —   | —   | —   | —   |
| योग      | 190      | 171 | 361 | 213         | 130 | 343 | 135     | 135 | 270 | —    | —  | —   | 538 | 436 | 974 |

## 3. उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

|                                   |   |                  |
|-----------------------------------|---|------------------|
| (ए) टोपोग्राफी Topography         | — | समतल             |
| (बी) एस्पेक्ट Aspect              | — | दक्षिण           |
| (सी) ढलान Slope                   | — | दक्षिण से पश्चिम |
| (अ) पानी निकासी                   | — | दक्षिण से पश्चिम |
| (ब) भू-क्षरण                      | — | सामान्य          |
| (डी) चट्टानों का विवरण            | — | निरंक            |
| (ई) मिट्टी का प्रकार              | — | रेतीली दोमट      |
| (एफ) औसत वार्षिक वर्षा            | — | 1000 मि.मी.      |
| (जी) नरम मिट्टी का क्षेत्र (हे०)  | — | 04.00 हेक्टेयर   |
| (एच) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (हे०) | — | 6.00 हेक्टेयर    |
| (आई) पथरीली मिट्टी                | — | निरंक            |

## 4. वनक्षेत्र का विवरण

(ए) वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण — मिश्रित वन, साजा, धावड़ा, लेंडिया, महुआ, तेंदू, चार।

## वृक्षों की जानकारी

| प्रजाति | 20 से.मी. तक की सीधी एवं स्थापित पौधे | 21 से.मी. से अधिक के वृक्ष |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|
| मिश्रित | 2295                                  | 2105                       |

## (बी) साईड क्वालिटी घनत्व

i. वन भूमि

— IVB, D.3

(सी) पूर्ण वन वर्धक (Root Stovk Development) -

ढूठ एवं गोलाई की गणना

| गोलाई   |                                         |                    |                    |                    |                    |                         |                           |     |
|---------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-----|
| प्रजाति | 20 से.मी.<br>तक की<br>आड़ी टेडी<br>पौधे | 21 से<br>30 से.मी. | 31 से 40<br>से.मी. | 41 से<br>60 से.मी. | 61 से<br>90 से.मी. | 91 से<br>120 से.<br>मी. | 120 से.<br>मी. से<br>अधिक | योग |
| मिश्रित | —                                       | —                  | —                  | —                  | —                  | —                       | —                         | —   |

- (डी) आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र —  
 (ई) आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र — 2.000 हेक्टेयर  
 (एफ) खरपतवार (मुख्यतः लेंटाना) — 8.000 हेक्टेयर  
 (जी) पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र — 10.00 हेक्टेयर  
 (एच) चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र — निरंक  
 (आई) विकृत बांस का क्षेत्र — निरंक  
 (जे) क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं — निरंक  
 (के) प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य) — निरंक  
 (एल) जैविक दबाव —

| प्रकार      | जैविक दबाव |     |       |
|-------------|------------|-----|-------|
|             | अत्यधिक    | औसत | नगण्य |
| वन्य प्राणी | —          | —   | —     |
| चराई        | —          | √   | —     |
| मानव        | —          | √   | —     |

5. 1. योजना का उद्देश्य — क्षतिपूर्ति वनीकरण  
 2. क्षेत्रफल  
 i. वन भूमि — 10.00 हेक्टेयर  
 6. उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण

- कट बैंक का क्षेत्रफल — 02 हे.  
 वृक्षारोपण का क्षेत्र — 10 हे.  
 भू संरक्षण कार्य का क्षेत्र — निरंक  
 लेण्टाना — 08 हे.

7. रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जायेंगे — केन्द्रीय रोपणी बालाघाट
8. रोपणी से रोपण स्थल की दूरी — 60 किमी  
 (ए) ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा — 60 किमी  
 (बी) सिर बोझ द्वारा — 1 किमी.
9. सिंचाई का विवरण —  
 (ए) जल स्रोत —  
 (बी) वृक्षारोपण से दूरी —  
 (सी) सिंचाई प्रकार —  
 (डी) बिजली उपलब्धता —
10. प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या — 1000  
 (ए) सी.बी.ओ. प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या — 92  
 (बी) क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 से 0मी0 से अधिक) — 345  
 (सी) क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पौधे (20 से 0मी0 गोलाई से कम) —  
 (डी) रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधे की संख्या प्रति हे. — 1000
11. योजना की अवधि — 11 वर्ष
12. 1. योजना पर होने वाला संभावित व्यय — रु. 7854513.00  
 (विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है)  
 2. प्रति हेक्टेयर व्यय — रु. 785451.00  
 3. अन्य व्यय  
 4. अन्य विवरण— प्रस्तावित प्रोजेक्ट पर पर्यवेक्षण शुल्क राशि 10%— रु. 785451.00

वनमण्डल अधिकारी  
 वनमण्डल अधिकारी  
 दक्षिण (सा.) वनमण्डल, बालाघाट  
 दक्षिण (सा.) वनमण्डल, बालाघाट

उपवनमण्डल अधिकारी  
 उपवनमण्डल अधिकारी  
 कटोरी (सा.) उपवनमण्डल, बालाघाट  
 कटोरी (सा.) उपवनमण्डल, बालाघाट

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
 वन परिक्षेत्र अधिकारी  
 खैरलांजी (सा.) परिक्षेत्र  
 खैरलांजी (सा.) परिक्षेत्र

—: प्रस्तावना :—

मिश्रित वृक्षारोपण वर्ष 2023-24 से 2033-34 तक

|    |                                     |                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | वृक्षारोपण का नाम                   | मिश्रित वृक्षारोपण                                                                                                                                 |
| 2  | वृक्षारोपण स्थल                     | हथोडा                                                                                                                                              |
| 3  | कक्ष क्र.                           | 805                                                                                                                                                |
| 4  | कार्य क्षेत्र                       | मैगनीज ओर खनिज के उत्खनन हेतु वनभूमि<br>व्यपवर्तन के एवज में वृक्षारोपण                                                                            |
| 5  | रकबा                                | 10.00 हेक्टेयर (वन भूमि)                                                                                                                           |
| 6  | समिति का नाम                        | ग्राम वन समिति हथोडा                                                                                                                               |
| 7  | बीट का नाम                          | हथोडा                                                                                                                                              |
| 8  | परिक्षेत्र सहायक वृत्त              | मिरगपुर                                                                                                                                            |
| 9  | परिक्षेत्र का नाम                   | खैरलांजी (सामान्य)                                                                                                                                 |
| 10 | वनमण्डल का नाम                      | दक्षिण बालाघाट (सा.) वनमण्डल                                                                                                                       |
| 11 | उपवनमण्डल                           | कटंगी सामान्य उपमण्डल                                                                                                                              |
| 12 | कार्य मद                            | कैम्पा                                                                                                                                             |
| 13 | वृक्षारोपण का उद्देश्य              | कार्य का मुख्य उद्देश्य वन संवर्धन रख<br>स्थानीय समिति, सदस्यों को रोजगार के<br>अवसर प्रदान करना।                                                  |
| 14 | कार्य करने वाले<br>कर्मचारी/अधिकारी | 1. श्री विवेक कुमार नाग वनक्षेत्रपाल<br>परिक्षेत्र अधिकारी, खैरलांजी (सा.)<br>2. श्री दिलीप उके उप.व.क्षे., प.स. मिरगपुर<br>3. श्री अजय अर्जे व.र. |

वनमण्डल अधिकारी  
दक्षिण (सा.) वनमण्डल, बालाघाट  
दक्षिण (सा.) वनमण्डल, बालाघाट

उपवनमण्डल अधिकारी  
उपवनमण्डल, कटंगी  
उपवनमण्डल, कटंगी

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
खैरलांजी (सा.) परिक्षेत्र

## भाग -2 प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दक्षिण सामान्य वनमंडल अन्तर्गत वन परिक्षेत्र खैरलांजी के संरक्षित वनखण्ड मोहगांव घाट के वनकक्ष क्रमांक 807, 809 में आवेदित रकबा 28.02 हे. (69.22 एकड़) वन भूमि में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 (II) के अन्तर्गत मैंगनीज और खनिज के उत्खनन हेतु वनभूमि व्यवर्तन की नियमानुसार शासन अनुमति प्रदान करने हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/19894/2016 आवेदक मेसर्स अर्पण फेरो एलायंस कोसमी (म.प्र.) के अनुसार प्रकरण के एवज में वन परिक्षेत्र खैरलांजी सामान्य अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 805 बीट हथोडा रोपण रकबा 10 हे. वन भूमि की क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण 11 वर्षीय योजना तैयार की गई है, उक्त चयनित वन भूमि स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण एवं सत्यापन किया गया है एवं निरीक्षण के समय प्रस्तावित प्रस्ताव में उल्लेखित उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई है। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण योग्य है तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, तकनीकी स्वीकृति योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
खैरलांजी (सा.) परिक्षेत्र

निरीक्षण दिनांक .....

निरीक्षण दिनांक .....

उपवनमंडल अधिकारी  
दक्षिण सामान्य वनमंडल, बालाघाट

वनमंडल अधिकारी  
दक्षिण सामान्य वनमंडल, बालाघाट

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक / ..... दिनांक / ..... द्वारा जारी की गई।

वन संरक्षक

बालघाट वन वृत्त  
बालाघाट

## भाग -2 प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दक्षिण सामान्य वनमंडल अन्तर्गत वन परिक्षेत्र खैरलांजी के वनरक्षित वनखण्ड मोहगांव घाट के वनकक्ष क्रमांक 807, 809 में आवेदित रकबा 28.02 हे. (69.22 एकड़) वन भूमि में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 (II) के अन्तर्गत मैंगनीज ओर प्रिनिज के उत्खनन हेतु वनभूमि व्यवर्तन की नियमानुसार शासन अनुमति प्रदान करने हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/19894/2016 आवेदक मेसर्स अर्पण फेरो एलायंस कोसमी न.प्र.) के अनुसार प्रकरण के एवज में वन परिक्षेत्र खैरलांजी सामान्य अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 805 घोट हथोडा रोपण रकबा 10 हे. वन भूमि की क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण 11 वर्षीय योजना तैयार की गई है, उक्त चयनित वन भूमि स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण एवं सत्यापन किया गया है एवं निरीक्षण के समय प्रस्तावित प्रस्ताव में उल्लेखित उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई है। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण योग्य है तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, तकनीकी स्वीकृति योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
खैरलांजी (सा.) परिक्षेत्र

निरीक्षण दिनांक .....

निरीक्षण दिनांक .....

उपवनमण्डल अधिकारी  
उपवनमण्डल अधिकारी  
कटंगा सा. उपवनमण्डल  
कटंगा उपवनमण्डल

वनमण्डल अधिकारी  
वनमण्डल अधिकारी  
दक्षिण (सा.) वनमण्डल, बालाघाट  
दक्षिण सा. वनमण्डल, बालाघाट

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक / 321 दिनांक 14/6/22 द्वारा जारी की गई।

वन संरक्षक  
मुख्य वनरक्षक  
बालाघाट वन वृत्त  
बालाघाट वन वृत्त  
बालाघाट

**कैम्पा मद चैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष कर्मांक 805 बीट हथोडा रोपण रकबा 10.000 हे. वन परिक्षेत्र खैरलांजी (सा.)**  
**दक्षिण सामान्य वनगंडल बालाघाट**

| S.N | Item of work                                 | Year wise physical and financial target/outlay Breakup |         |         |         |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         |        |         |        |         |        |         |        |         |         |         | Total |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|
|     |                                              | Rate<br>in Rs.                                         | 2023-24 |         | 2024-25 |        | 2025-26 |        | 2026-27 |        | 2027-28 |        | 2028-29 |         | 2029-30 |        | 2030-31 |        | 2031-32 |        | 2032-33 |        | 2033-34 |         |         |       |
|     |                                              |                                                        | Phy.    | Fin.    | Phy.    | Fin.   | Phy.    | Fin.   | Phy.    | Fin.   | Phy.    | Fin.   | Phy.    | Fin.    | Phy.    | Fin.   | Phy.    | Fin.   | Phy.    | Fin.   | Phy.    | Fin.   | Phy.    | Fin.    |         |       |
| 1   | a) Advance Work- I Year                      | -                                                      | 10      | 3311185 | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 3311185 |         |       |
|     | b) Creation- II Year                         | -                                                      | 0       | 0       | 10      | 686735 | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 686735  |         |       |
|     | c) Maintenance III Year                      | -                                                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 10      | 411642 | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 411642  |         |       |
|     | IV Year                                      | -                                                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 10      | 379898 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 379898  |         |       |
|     | V Year                                       | -                                                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 10      | 400346 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 400346  |         |       |
|     | VI Year                                      | -                                                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 10     | 406633  | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 406633  |         |       |
|     | VII Year                                     | -                                                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 10      | 336675  | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 336675  |         |       |
|     | VIII Year                                    | -                                                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 10     | 363855  | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 363855  |         |       |
|     | IX Year                                      | -                                                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 10     | 317048  | 0      | 0       | 0      | 0       | 317048  |         |       |
|     | X Year                                       | -                                                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 10     | 255477  | 0      | 0       | 255477  |         |       |
|     | XI Year                                      | -                                                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 10     | 270972  | 270972  |         |       |
|     | Total :-                                     | 0                                                      | 10      | 3311185 | 10      | 686735 | 10      | 411642 | 10      | 379898 | 10      | 400346 | 10      | 406633  | 10      | 336675 | 10      | 363855 | 10      | 317048 | 10      | 255477 | 10      | 270972  | 7140466 |       |
| 2   | प्रोजेक्ट पर आस्थामूलक कार्य 5%              | 0                                                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 357023  |         |       |
| 3.  | प्रोजेक्ट मानव संसाधन विकास कार्य 1%         | 0                                                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 71403   |         |       |
| 4   | प्रोजेक्ट पर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य 4% | 0                                                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 285619  |         |       |
|     | Total :-                                     | 0                                                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 7854513 |         |       |
| 5   | पर्यवेक्षण शुल्क 10%                         | 0                                                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 785451  |         |       |
|     | G Total :-                                   |                                                        | 3311185 | 686735  | 411642  | 379898 | 400346  | 406633 | 336675  | 363855 | 317048  | 255477 | 270972  | 7140466 |         |        |         |        |         |        |         |        |         | 8639964 |         |       |

**वनमंडलाधिकारी**  
**दक्षिण बालाघाट, खैरलांजी बालाघाट**

**समस्त वनमंडलाधिकारी**  
**उपवनमंडल, कटनी, मंडल**

**वनपरिक्षेत्र अधिकारी**  
**खैरलांजी (सा.) परिक्षेत्र**

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 10 हेक्टेयर) (अखिलीन)

बीट हथोडा वन कक्ष क. 805 परिवृत्त मिरगपुर  
वन परिक्षेत्र खैरलांजी सामान्य  
दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा

10

हेक्टेयर

381

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2023-24  
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

| क्र. | कार्य का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कार्य की मात्रा |        | दर प्रति ईकाई (मा.दि.) |                | कुल मानव दिवस | राशि      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------------|----------------|---------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मात्रा          | इकाई   | मानव दिवस              | इकाई           |               |           |
| 1    | सर्व एवं सीमांकन हे०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10              | ha     | 0.45                   | प्रति हे०      | 4.500         | 1715      |
| 4    | क्षेत्र सफाई (हे०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10              | ha     | 4.00                   | प्रति हे०      | 40.000        | 15240     |
| 5    | लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5               | ha     | 12.50                  | प्रति हेक्टे   | 62.500        | 23813     |
| 6    | वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा। | 2339            |        | 2.4                    | Rmt            | 5613.600      | 2138781.6 |
| 7    | गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10000           | गड्ढे  | 2.5                    | प्रति हजार     | 25.000        | 9525      |
| 8    | रोपण हेतु गड्ढा खुदाई संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |                        |                |               |           |
|      | 45x45x45 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5000            | गड्ढे  | 5                      | प्रति सैकड़ा   | 250.000       | 95250     |
|      | 30x30x30 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5000            | गड्ढे  | 3                      | प्रति सैकड़ा   | 150.000       | 57150     |
|      | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10000           |        |                        |                |               |           |
| 9    | गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत (30 प्रतिशत गड्ढों में)                                                                                                                                                                                                                                                           | 82.013          | घ०मी०  | 1.5                    | प्रति घ०मी०    | 123.019       | 46870     |
| 10   | गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत (100 प्रतिशत गड्ढों में)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143.000         | घ०मी०  | 3                      | प्रति घ०मी०    | 429.000       | 163449    |
| 11   | उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना                                                                                                                                                                                                                                                    | 10000           | गड्ढे  | 1.5                    | 100            | 150.000       | 57150     |
| 12   | 2 हट निर्माण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | L.S.   |                        |                | 55.000        | 20955     |
| 13   | अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |                        |                | 50.000        | 19050     |
|      | योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |                        |                | 6953          | 2648948   |
| 14   | भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 10 हे० |                        | 24.5 प्रति हे० | 1738.155      | 662237    |
|      | कुल योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |                        |                | 8690.773      | 3311185   |

(असिंधि)

## योजना का द्वितीय वर्ष (2024-25)

दर - 404

| क्र. | कार्य का विवरण                                 | कार्य की मात्रा |          | दर प्रति ईकाई (मा.दि.) |              | कुल मानव<br>दियस | राशि   |
|------|------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|--------------|------------------|--------|
|      |                                                | मात्रा          | इकाई     | मानव दिवस              | इकाई         |                  |        |
| 1    | रोपणी कार्य                                    |                 |          |                        |              |                  |        |
|      | प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या               | 10000           | पौधे     | 0.03546                | पौधा         | 354.600          | 143258 |
|      | मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत | 2000            | पौधे     | 0.03546                | पौधा         | 70.920           | 28652  |
| 2    | पौधों का परिवहन (संख्या)                       |                 |          |                        |              |                  |        |
|      | ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा                           | 12000           | पौधे     | 1.5                    | सैकड़ा       | 180.00           | 72720  |
|      | सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०                        | 12000           | पौधे     | 0.4                    | सैकड़ा       | 48.00            | 19392  |
| 3    | लैंडाना मापिंग अप आपरेशन                       | 8               | हेक्टेयर | 8                      | हेक्ट        | 64               | 25856  |
| 4    | रोपण                                           |                 |          |                        |              |                  |        |
|      | 45x45x45 cm.                                   | 5000            | पौधे     | 1.8                    | सैकड़ा       | 90.000           | 36360  |
|      | 30x30x30 cm.                                   | 5000            | पौधे     | 1.5                    | सैकड़ा       | 75.000           | 30300  |
|      | योग                                            | 10000           |          |                        |              |                  |        |
| 5    | प्रथम निंदाई                                   |                 |          |                        |              |                  |        |
|      | पौधों में                                      | 10000           |          | 1.25                   | सैकड़ा       | 125.000          | 50500  |
| 6    | द्वितीय निंदाई                                 |                 |          |                        |              |                  |        |
|      | पौधों में                                      | 10000           |          | 1                      | सैकड़ा       | 100.000          | 40400  |
| 7    | तृतीय निंदाई                                   |                 |          |                        |              |                  |        |
|      | पौधों में                                      | 10000           |          | 1                      | सैकड़ा       | 100.000          | 40400  |
| 8    | खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई                      | 10000           |          | 0.6                    | प्रति सैकड़ा | 60.000           | 24240  |
| 9    | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन                     |                 |          |                        |              |                  |        |
|      | 6 मीटर चौड़ी                                   | 2200            | mtr      | 3.35                   | किमी         | 7.370            | 2977   |
|      | 3 मीटर चौड़ी                                   | 2200            | mtr      | 2.25                   | किमी         | 4.950            | 2000   |
| 10   | सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह                         |                 | 1x9      |                        |              | 270.000          | 109080 |
| 11   | उपलब्धता अनुसार सिंचाई                         | 10000           |          |                        | Lumsum       | 100.000          | 40400  |
| 12   | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)               |                 |          |                        |              | 50               | 20200  |
|      | योग:-                                          |                 |          |                        |              | 1699.840         | 686735 |

12

दर निर्देश अधिकारी

प्रस्तावित का निदेश

(अखिन्त)

## योजना का तृतीय वर्ष (2025-26)

दर - 428

| क्र.  | कार्य का विवरण                                  | कार्य की मात्रा |       | दर प्रति ईकाई (मा.दि.) |        | कुल मानव दिवस | राशि   |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------|--------|---------------|--------|
|       |                                                 | मात्रा          | इकाई  | मानव दिवस              | इकाई   |               |        |
| 1     | रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु) | 1000            | पौधे  | 0.03546                | पौधा   | 35.460        | 15177  |
| 2     | पौधों का परिवहन (संख्या)                        |                 |       |                        |        |               |        |
|       | ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा                            | 1000            |       | 1.5                    | सैकड़ा | 15.000        | 6420   |
|       | सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०                         | 1000            |       | 0.4                    | सैकड़ा | 4.000         | 1712   |
| 3     | चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)             |                 |       |                        |        | 20.000        |        |
| 4     | प्रथम निंदाई                                    |                 |       |                        |        |               |        |
|       | पौधों में                                       | 10000           | गड़डे | 1.25                   | सैकड़ा | 125.000       | 53500  |
| 5     | द्वितीय निंदाई                                  |                 |       |                        |        |               |        |
|       | पौधों में                                       | 10000           | गड़डे | 1                      | सैकड़ा | 100.000       | 42800  |
| 6     | तृतीय निंदाई                                    |                 |       |                        |        |               |        |
|       | पौधों में                                       | 10000           | गड़डे | 1                      | सैकड़ा | 100.000       | 42800  |
| 7     | खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई                       | 10000           | गड़डे | 0.6                    | सैकड़ा | 60.000        | 25680  |
| 8     | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन                      |                 |       |                        |        |               |        |
|       | 6 मीटर चौड़ी                                    | 2200            | mtr   | 3.35                   | किमी   | 7.370         | 3154   |
|       | 3 मीटर चौड़ी                                    | 2200            | mtr   | 2.25                   | किमी   | 4.950         | 2119   |
| 9     | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक         |                 | माह   |                        |        | 360.000       | 154080 |
| 10    | उपलब्धता अनुसार सिंचाई                          | 10000           | गड़डे | Lumsum                 |        | 100.000       | 42800  |
| 11    | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि)                     |                 |       |                        |        | 50.000        | 21400  |
| योग:- |                                                 |                 |       |                        |        | 981.780       | 411642 |

द्वारा परीक्षण आदेशों  
कीसलजी सा.परेक्षक

(असिंचित)

## योजना का चतुर्थ वर्ष (2026-27)

दर - 454

| क्र.  | कार्य का विवरण                                | कार्य की मात्रा |      | दर प्रति ईकाई (मा.दि.) |            | कुल मानव दिवस | राशि    |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------|------|------------------------|------------|---------------|---------|
|       |                                               | मात्रा          | इकाई | मानव दिवस              | इकाई       |               |         |
| 1     | रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु) | 1000            | पौधे | 0.03546                | प्रति पौधा | 35.460        | 16099   |
| 2     | पौधों का परिवहन (संख्या)                      |                 |      |                        |            |               |         |
|       | ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा                          | 1000            |      | 1.5                    | सैकड़ा     | 15.000        | 6810    |
|       | सिर बाझ द्वारा 1 कि०मी०                       | 1000            |      | 0.4                    | सैकड़ा     | 4.000         | 1816    |
| 3     | प्रथम निंदाई                                  |                 |      |                        |            |               |         |
|       | पौधों में                                     | 10000           |      | 1.25                   | सैकड़ा     | 125.000       | 56750   |
| 4     | द्वितीय निंदाई                                |                 |      |                        |            |               |         |
|       | पौधों में                                     | 10000           |      | 1                      | सैकड़ा     | 100.000       | 45400   |
| 5     | तृतीय निंदाई                                  |                 |      |                        |            |               |         |
|       | पौधों में                                     | 10000           |      | 1                      | सैकड़ा     | 100.000       | 45400   |
| 6     | खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई                     | 10000           |      | 0.6                    | सैकड़ा     | 60.000        | 27240   |
| 7     | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन                    |                 |      |                        |            |               |         |
|       | 6 मीटर चौड़ी                                  | 2200            | mtr  | 3.35                   | किमी       | 7.370         | 3345.98 |
|       | 3 मीटर चौड़ी                                  | 2200            | mtr  | 2.25                   | किमी       | 4.950         | 2247.3  |
| 8     | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक       |                 | माह  |                        |            | 360.000       | 163440  |
| 9     | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)              |                 |      |                        |            | 25.000        | 11350   |
| योग:- |                                               |                 |      |                        |            | 836.780       | 379898  |

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
खैरलाजी सा. परिक्षेत्र

(अलिचित)

## क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष (2027-28)

दर- 481

| क्र.  | कार्य का विवरण                          | कार्य की मात्रा |        | दर प्रति ईकाई (मा.दि.) |        | कुल मानव दिवस | राशि   |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|
|       |                                         | मात्रा          | ईकाई   | मानव दिवस              | ईकाई   |               |        |
| 1     | चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)      | 1000            |        |                        |        | 50.000        | 24050  |
| 2     | प्रथम निंदाई                            |                 |        |                        |        |               |        |
|       | पौधों में                               | 10000           |        | 1.25                   | 100    | 125.000       | 60125  |
| 3     | द्वितीय निंदाई                          |                 |        |                        |        |               |        |
|       | पौधों में                               | 10000           |        | 1                      | 100    | 100.000       | 48100  |
| 4     | तृतीय निंदाई                            |                 |        |                        |        |               |        |
|       | पौधों में                               | 10000           |        | 1                      | 100    | 100.000       | 48100  |
| 5     | खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई               | 10000           |        | 0.6                    | सैकड़ा | 60.000        | 28860  |
| 6     | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन              |                 |        |                        |        |               |        |
|       | 6 मीटर चौड़ी                            | 2200            | mtr    | 3.35                   | किमी   | 7.370         | 3545   |
|       | 3 मीटर चौड़ी                            | 2200            | mtr    | 2.25                   | किमी   | 4.950         | 2381   |
| 7     | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक |                 | 12 माह |                        |        | 360.000       | 173160 |
| 8     | अन्य व्यय                               |                 |        |                        |        | 25.000        | 12025  |
| योग:- |                                         |                 |        |                        |        | 832.320       | 400346 |

अतिरिक्त कार्य  
करलाजी स.प.वि.प.

(असिचित)

## योजना का षष्ठम वर्ष (2028-29)

रक- 510

| क्र. | कार्य का विवरण                          | कार्य की मात्रा |        | दर प्रति ईकाई (मा.दि.) |      | कुल मानव दिवस | राशि   |
|------|-----------------------------------------|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|--------|
|      |                                         | मात्रा          | इकाई   | मानव दिवस              | इकाई |               |        |
| 1    | प्रथम निंदाई                            |                 |        |                        |      |               |        |
|      | पौधों में                               | 10000           |        | 1.25                   | 100  | 125.000       | 63750  |
| 2    | द्वितीय निंदाई                          |                 |        |                        |      |               |        |
|      | पौधों में                               | 10000           |        | 1                      | 100  | 100.000       | 51000  |
| 3    | तृतीय निंदाई                            |                 |        |                        |      |               |        |
|      | पौधों में                               | 10000           |        | 1                      | 100  | 100.000       | 51000  |
| 4    | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन              |                 |        |                        |      |               |        |
|      | 6 मीटर चौड़ी                            | 2200            | mtr    | 3.35                   | किमी | 7.370         | 3759   |
|      | 3 मीटर चौड़ी                            | 2200            | mtr    | 2.25                   | किमी | 4.950         | 2525   |
| 6    | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक |                 | 12 माह |                        |      | 360.000       | 183600 |
| 7    | अन्य व्यय                               |                 |        |                        |      | 100.000       | 51000  |
|      | योग:-                                   |                 |        |                        |      | 797.320       | 406633 |

## योजना का सप्तम वर्ष (2029-30)

रक- 541

| क्र. | कार्य का विवरण                          | कार्य की मात्रा |        | दर प्रति ईकाई (मा.दि.) |      | कुल मानव दिवस | रिमाक  |
|------|-----------------------------------------|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|--------|
|      |                                         | मात्रा          | इकाई   | मानव दिवस              | इकाई |               |        |
| 1    | प्रथम निंदाई                            |                 |        |                        |      |               |        |
|      | पौधों में                               | 10000           |        | 1.25                   | 100  | 125.000       | 67625  |
| 2    | द्वितीय निंदाई                          |                 |        |                        |      |               |        |
|      | पौधों में                               | 10000           |        | 1                      | 100  | 100.000       | 54100  |
| 3    | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन              |                 |        |                        |      |               |        |
|      | 6 मीटर चौड़ी                            | 2200            | mtr    | 3.35                   | किमी | 7.370         | 3987   |
|      | 3 मीटर चौड़ी                            | 2200            | mtr    | 2.25                   | किमी | 4.950         | 2678   |
| 4    | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक |                 | 12 माह |                        |      | 360.000       | 194760 |
| 5    | अन्य व्यय                               |                 |        |                        |      | 25.000        | 13525  |
|      | योग:-                                   |                 |        |                        |      | 622.320       | 336675 |

योजना का षष्ठम वर्ष (2028-29)  
रक- 510

(असिचिन)

## योजना का अष्टम वर्ष (2030-31)

दर- 573

| क्र.  | कार्य का विवरण                          | कार्य की मात्रा |        | दर प्रति ईकाई (मा.दि.) |      | कुल मानव दिवस | राशि   |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|--------|
|       |                                         | मात्रा          | ईकाई   | मानव दिवस              | ईकाई |               |        |
| 1     | प्रथम निंदाई पौधों में                  | 10000           |        | 1.25                   | 100  | 125.000       | 71625  |
| 2     | द्वितीय निंदाई पौधों में                | 10000           |        | 1                      | 100  | 100.000       | 57300  |
| 3     | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन              |                 |        |                        |      |               |        |
|       | 6 मीटर चौड़ी                            | 2200            | mtr    | 3.35                   | किमी | 7.370         |        |
|       | 3 मीटर चौड़ी                            | 2200            | mtr    | 2.25                   | किमी | 4.950         |        |
| 4     | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक |                 | 12 माह |                        |      | 360.000       | 206280 |
| 5     | अन्य व्यय                               |                 |        |                        |      | 50.000        | 28650  |
| योग:- |                                         |                 |        |                        |      | 647.320       | 363855 |

## योजना का नवम वर्ष (2031-32)

दर- 607

| क्र.  | कार्य का विवरण                          | कार्य की मात्रा |        | दर प्रति ईकाई (मा.दि.) |      | कुल मानव दिवस | राशि   |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|--------|
|       |                                         | मात्रा          | ईकाई   | मानव दिवस              | ईकाई |               |        |
| 1     | प्रथम निंदाई पौधों में                  | 10000           |        | 1.25                   | 100  | 125.000       | 75875  |
| 2     | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन              |                 |        |                        |      |               |        |
|       | 6 मीटर चौड़ी                            | 2200            | mtr    | 3.35                   | किमी | 7.370         | 4474   |
|       | 3 मीटर चौड़ी                            | 2200            | mtr    | 2.25                   | किमी | 4.950         | 3005   |
| 3     | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक |                 | 12 माह |                        |      | 360.000       | 218520 |
| 4     | अन्य व्यय                               |                 |        |                        |      | 25.000        | 15175  |
| योग:- |                                         |                 |        |                        |      | 522.320       | 317048 |

## योजना का दशम वर्ष (2032-33)

दर- 643

| क्र.  | कार्य का विवरण                          | कार्य की मात्रा |        | दर प्रति ईकाई (मा.दि.) |      | कुल मानव दिवस | राशि   |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|--------|
|       |                                         | मात्रा          | ईकाई   | मानव दिवस              | ईकाई |               |        |
| 1     | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन              |                 |        |                        |      |               |        |
|       | 6 मीटर चौड़ी                            | 2200            | mtr    | 3.35                   | किमी | 7.370         | 4739   |
|       | 3 मीटर चौड़ी                            | 2200            | mtr    | 2.25                   | किमी | 4.950         | 3183   |
| 2     | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक |                 | 12 माह |                        |      | 360.000       | 231480 |
| 3     | अन्य व्यय                               |                 |        |                        |      | 25.000        | 16075  |
| योग:- |                                         |                 |        |                        |      | 397.320       | 255477 |

## योजना का ग्यारवा वर्ष (2033-34)

682

| क्र.  | कार्य का विवरण                          | कार्य की मात्रा |        | दर प्रति ईकाई (मा.दि.) |      | कुल मानव दिवस | राशि   |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|--------|
|       |                                         | मात्रा          | ईकाई   | मानव दिवस              | ईकाई |               |        |
| 1     | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन              |                 |        |                        |      |               |        |
|       | 6 मीटर चौड़ी                            | 2200            | mtr    | 3.35                   | किमी | 7.370         | 5026   |
|       | 3 मीटर चौड़ी                            | 2200            | mtr    | 2.25                   | किमी | 4.950         | 3376   |
| 2     | सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक |                 | 12 माह |                        |      | 360.000       | 245520 |
| 3     | अन्य व्यय                               |                 |        |                        |      | 25.000        | 17050  |
| योग:- |                                         |                 |        |                        |      | 397.32        | 270972 |

उपस्थित अधिकारी  
कार्य (मा.) सम्बन्धित

वर्तमान अधिकारी  
दस्तावेज सम्बन्धित

गोश्वारा, आदर्श रोपण  
10 हे०

असिंचित

| वर्ष                            | प्रस्तावित<br>(मानव दिवस) | 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की<br>वृद्धि लेने पर गुणांक | प्रस्तावित मानव<br>दिवस | प्रस्तावित राशि |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| प्रथम वर्ष (2023-24)            | 8691                      | 1.00                                            | 8691                    | 3311185         |
| द्वितीय वर्ष (2024-25)          | 1700                      | 1.06                                            | 1802                    | 686735          |
| तृतीय वर्ष (2025-26)            | 982                       | 1.12                                            | 1103                    | 411642          |
| चतुर्थ वर्ष (2026-27)           | 837                       | 1.19                                            | 997                     | 379898          |
| पंचम वर्ष (2027-28)             | 832                       | 1.26                                            | 1051                    | 400346          |
| षष्ठम वर्ष (2028-29)            | 797                       | 1.34                                            | 1067                    | 406633          |
| सप्तम वर्ष (2029-30)            | 622                       | 1.42                                            | 883                     | 336675          |
| अष्टम वर्ष (2030-31)            | 647                       | 1.50                                            | 974                     | 363855          |
| नवम वर्ष (2031-32)              | 522                       | 1.59                                            | 833                     | 317048          |
| दशम वर्ष (2032-33)              | 397                       | 1.69                                            | 671                     | 255477          |
| ग्यारवा वर्ष (2033-34)          | 397                       | 1.79                                            | 711                     | 270972          |
| कुल योग                         |                           |                                                 | 18782                   | 7140466         |
| कुल राशि                        |                           |                                                 |                         | 7140466         |
| आस्थामूलक कार्य 5%              |                           |                                                 |                         | 357023          |
| मानव संसाधन विकास कार्य 1%      |                           |                                                 |                         | 71405           |
| अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य 4% |                           |                                                 |                         | 285619          |
| योग                             |                           |                                                 |                         | 7854513         |
| पर्यवेक्षण शुल्क 10%            |                           |                                                 |                         | 785451          |
| महायोग                          |                           |                                                 |                         | 8639964         |

वेन परिक्षेत्र अधिकारी  
खैरलांजी (सा.) परिक्षेत्र

उपमंडल अधिकारी  
काठमांडू, काठमांडू (सा.)

उपमंडल अधिकारी  
दक्षिण (सा.) उपमंडल अधिकारी  
दक्षिण (सा.) उपमंडल अधिकारी

P-806

P-807

587

वीर हथोडा  
कहा-बमोड 805  
बुझायेफा/रकबा-10 ई०

Quarries

Sheet rocks

Bori Hamesha

P-805

P-805

प.स.मिरापुर

LEGEND

वृक्ष पारिवेन अतिकारी  
खैरलाजी सा मरिसेत्र

# कार्यावाही प्रोसेसिंग फॉर्म

संगति का नाम - राजपूतवासि निशेन का नाम - उत्तरवर्गिनी (भाठ) वनाडल का नाम - ६०/विवा/काट जिला-बालाघाट माह ३१ प्रिलतर् २०२२

| वर्ग | स्थिति सदस्यों का नाम | विवरण   | संक्षेप में की गई कार्यवाही | वैतक में किया गया कार्य | पारा हुए प्रस्ताव | अध्यक्ष एवं सदस्यों के हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ का निशान |
|------|-----------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 1    | राजपूतवासि            | अध्यक्ष | अध्यक्ष                     | अध्यक्ष                 | अध्यक्ष           | अध्यक्ष                                               |
| 2    | राजपूतवासि            | अध्यक्ष | अध्यक्ष                     | अध्यक्ष                 | अध्यक्ष           | अध्यक्ष                                               |
| 3    | राजपूतवासि            | अध्यक्ष | अध्यक्ष                     | अध्यक्ष                 | अध्यक्ष           | अध्यक्ष                                               |
| 4    | राजपूतवासि            | अध्यक्ष | अध्यक्ष                     | अध्यक्ष                 | अध्यक्ष           | अध्यक्ष                                               |
| 5    | राजपूतवासि            | अध्यक्ष | अध्यक्ष                     | अध्यक्ष                 | अध्यक्ष           | अध्यक्ष                                               |
| 6    | राजपूतवासि            | अध्यक्ष | अध्यक्ष                     | अध्यक्ष                 | अध्यक्ष           | अध्यक्ष                                               |
| 7    | राजपूतवासि            | अध्यक्ष | अध्यक्ष                     | अध्यक्ष                 | अध्यक्ष           | अध्यक्ष                                               |
| 8    | राजपूतवासि            | अध्यक्ष | अध्यक्ष                     | अध्यक्ष                 | अध्यक्ष           | अध्यक्ष                                               |
| 9    | राजपूतवासि            | अध्यक्ष | अध्यक्ष                     | अध्यक्ष                 | अध्यक्ष           | अध्यक्ष                                               |
| 10   | राजपूतवासि            | अध्यक्ष | अध्यक्ष                     | अध्यक्ष                 | अध्यक्ष           | अध्यक्ष                                               |

अध्यक्ष का नाम  
अध्यक्ष

संगति का नाम

# Untitled Map

Write a description for your map.

Legend

Feature 1

N

300 m

Google Earth

Image © 2022 Max Technologies

مخطط التربة  
في المنطقة المدروسة

# ARPAN FERRO ALLOYS

MANUFACTURER OF FERRO MANGANESE

Reg Add: C/o Ramdev Food Products, Gondia Road, Kosmi, Balaghat, 481001  
Email id: arpanferroalloys531@gmail.com Ph. No.: 9425138765, 9399719481

प्रति,

दिनांक-12/05/2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

( भू-प्रबंध )

मध्य प्रदेश भोपाल ।

विषय:-वन मंडल दक्षिण बालाघाट के वन परिक्षेत्र खैरलांजी के वन कक्ष क्रमांक PF-807 & PF-809 के रकबा 28.02 हे. वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से मैंगनीज ओर खनिज उत्तखनन का मेंसर्स अर्पण फेरो एलायस, कोसमी बालाघाट, प्रकरण क्रमांक FP/MP/MIN/19894/2016

संदर्भ:- (1) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPR 04/2022-BHO/ दिनांक 03/11/2022

(2) आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक /एफ-1/831/2021/10-11-3752 दिनांक 07/11/2022.

(3) आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक /एफ-1/831/2021/10-11-5783 दिनांक 27/11/2024.

(4) कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट का पत्र क्रमांक/तकनीकी/7535 दिनांक 23/12/2024.

महोदय

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 6-MPR 04/2022-BHO/ दिनांक 03/11/2022 से प्रकरण में 12 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गयी है। जिसमें से चाही गयी जानकारी का जवाब टेबुलर फार्म में अवलोकनार्थ सम्प्रेषित है:-

| क्र | चाही गई जानकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रस्तुत जानकारी                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mining plan was approved in 1994. Fresh Loi was issued in 2015 for 20 years . Sanctity of the Mining Plan in light of revised Loi . change in the technological interventions . guidelines issued by the DGMS and IBM , etc. needs to be ascertained It is also to mention that there has been | हमारा माइनिंग प्लान सन 1994 में IBM द्वारा निर्धारित Formate के अनुसार बनाकर स्वीकृत किया गया था । अगर हमें इसमें किसी भी प्रकार का सुधार या बदलाव लाने की आवश्यकता है तो हम नियमानुसार कार्यवाही एवं बदलाव करने के लिए वचनबद्ध हैं, एवं अगर IBM हमें निर्देशित करती है तो हम आवश्यक |

# ARPAN FERRO ALLOYS

MANUFACTURER OF FERRO MANGANESE

Reg Add: C/o Ramdev Food Products, Gondia Road, Kosmi, Balaghat, 481001  
Email id: arpanferroalloys531@gmail.com Ph. No.: 9425138765, 9399719481

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>a substantial change in the population of tiger and other wildlife population. Management Strategies in terms of core and buffer areas, corridors and satellite population etc have been given prime focus. In case these issues cannot be addressed by the mining plan prepared 28 years back, a new one may be required.</p> | <p>कार्यवाही करने तैयार है।<br/>वर्तमान में IBM ने हमारा पूर्व में स्वीकृत माइनिंग प्लान को दिनांक 09.06.2021 को रिवोक कर दिया है। इस माइनिंग प्लान को रिवोकेसन से बहाल करने के लिये माननीय उच्च न्यायालय (जबलपुर) में हमारे द्वारा याचिका WP-4091(2023) लगायी गयी है। जो कि न्यायालय में विचाराधीन है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | <p>It needs to be clarified if the land use proposed in the proposal is in conformity with the land use given in approved Mining Plan / proposed Mining Plan.</p>                                                                                                                                                                 | <p>Land Use प्रस्ताव में Online आवेदन में सुधार किया जा चुका है एवं उसे अपडेट कर दिया गया है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | <p>Original lease was proposed to be granted in the year 1994. No chronological background details could be traced in the proposal viz. whether mining lease was executed and mining operations undertaken, in case no execution of lease of mining operations undertaken, reason therefore, etc. needs to be intimated.</p>      | <p>हमें वर्ष 1994 में लीज स्वीकृत की गई थी परन्तु यह लीज एग्रीमेंट सन 2015 तक Revenue एवं Forest Land के Confusion के कारण Execute नहीं हो पाया था। सन् 2015 में हमें सरकार द्वारा वन व्यापर्तन की कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। इसके बाद से हम Forest Clearance की कार्यवाही नियमानुसार कर रहे हैं। 11 जनवरी 2017 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार हम सरकार के साथ लीज एग्रीमेंट कर चुके हैं वांछित Forest Clearance एवं Environment Clearance संबंधित सभी कार्यवाही हम नियमानुसार करते जा रहे हैं। इन कार्यवाहीयों के पूर्ण होते तक हम लीज में माइनिंग कार्य को करने में असमर्थ हैं। जैसे ही ये Clearance मिल जाएंगे, हम माइनिंग कार्य प्रारंभ कर</p> |

# ARPAN FERRO ALLOYS

MANUFACTURER OF FERRO MANGANESE

Reg Add: C/o Ramdev Food Products, Gondia Road, Kosmi, Balaghat, 481001  
Email id: arpanferroalloys531@gmail.com Ph. No.: 9425138765, 9399719481

|   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                 | पायेंगे।                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | Proposal also needs to be examined in light of provisions of section 10 A 2 ( c ) of the MMDR Amendment Act , 2015                                                                                              | हम सरकारी विभागों द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं मानदण्डों के अनुसार कार्यवाही को करते आ रहे हैं एवं आगे भी करते रहने के लिए वचनबद्ध है। विभिन्न विभागों द्वारा निर्देशित कार्यों और सरकारी नियमों का पूर्णतः पालन करने के लिए भी हम वचनबद्ध है। |
| 5 | Safety zone demarcation is not given , the same should be maintained in a strip of 7.5 meter wide along the inner boundary of mining lease and details of area involved therein may be indicated and submitted. | सेफ्टी जोन के लिये 7.5 मीटर चौड़ाई पट्टी का प्रावधान रखा गया है। सभी नक्शों में इसे सुधार कर अपलोड किया गया है।                                                                                                                                   |
| 6 | Staff quarter which are non - site specific activities are proposed in the proposal for which UA has given undertaking that same will not be built .                                                            | Staff Quarter के लिए निर्धारित जगह की मांग अब नहीं है उसे Proposal में सुधार कर हटा दिया जायेगा।<br>हमारे द्वारा आवेदित वन क्षेत्र में किसी प्रकार के भवन निर्मित नहीं किये जायेंगे। इस संबंध में वचन पत्र संलग्न है।                             |
| 7 | As per SIR of DFO , there is presence of occasional movement of Tiger , Leopard . Jackal , Blue Bull , Cheetal , Python and Langoor etc. Thus , mitigation plan shall be submitted .                            | हमारे द्वारा इस क्षेत्र में सरकारी नियमों के अनुसार वन्य प्राणी संरक्षण की परियोजना बना ली गई है एवं उसे राज्य शासन द्वारा स्वीकृत भी कर दिया गया है। इसकी प्रति आपकी जानकारी के लिए संलग्न है।                                                   |
| 8 | A stretch of 60 meter approach road ( comp no 809 ) is not included in the proposal . Clarification / rectification is required to be                                                                           | प्रस्ताव में पहुच मार्ग हेतु 0.62 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित कि गई है। जो वन सीमा से प्रारम्भ होकर माईनिंग क्षेत्र तक जाती है। त्रुटी का सुधार कर नया नक्शा                                                                                         |

# ARPAN FERRO ALLOYS

## MANUFACTURER OF FERRO MANGANESE

Reg Add: C/o Ramdev Food Products, Gondia Road, Kosmi, Balaghat, 481001  
Email id: arpanferroalloys531@gmail.com Ph. No.: 9425138765, 9399719481

|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | submitted .                                                                                                                                                                                                                                               | अपलोड कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | From DSS analysis it is evident that this area is a comparatively bigger patch of forest situated at 23.49 km from Pench Tiger Reserve with smaller green patches in between shall be clarified .                                                         | Forest एवं Enviroment विभागों में वन व्यापवर्तन से संबंधित नियमानुसार सारी कार्यवाही की जा रही है एवं वन अधिनियम के अंतर्गत हमारे द्वारा किये गये सभी वायदों को पूरी तरह से निभाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। वन विभाग में जारी कार्यवाही एवं Enviroment Clearance से संबंधित कार्यवाही की प्रतिया आपकी जानकारी के लिए संलग्न है। |
| 10 | Component like staff quarters which seems to be not site - specific , has also been proposed for diversion and is not permissible as per the relevant guidelines issued under the Forest ( Conservation ) Act , 1980. The same needs to be re - visited . | हम इस आदेश से सहमत हैं एवं इस सहमति का सत्यापन करते हुए हमने पहले ही वचन पत्र संलग्न किया है। बिंदु क्रमांक 6 के अनुसार हमारे द्वारा वन क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।<br>Online Proposal में से भी Staff Quarter संबंधित जगह की आवश्यकता को हटाकर Proposal में जल्द ही सुधार किया जा रहा है      |
| 11 | CA scheme for 10.00 ha DFL does not include maintenance for 10 years . It shall be rectified and resubmitted .                                                                                                                                            | वन विभाग से सम्बंधित हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | An area of 1.0 ha has been proposed for siding which needs elaboration to comprehend the nature of siding proposed in the proposal .                                                                                                                      | Online Proposal में सुधार कर इस स्थान को बढ़ाकर 2.0 हेक्टर किया गया है, एवं जल्द ही इसे अपडेट किया जायेगा। इस स्थान पर हम माइन्स से निकाले हुए खनिज को एकत्र कर उसकी सारटिंग, ग्रेडिंग एवं डिसपेचिंग का कार्य किया जाएगा।                                                                                                     |

# ARPAN FERRO ALLOYS

MANUFACTURER OF FERRO MANGANESE

Reg Add: C/o Ramdev Food Products, Gondia Road, Kosmi, Balaghat, 481001  
Email id: arpanferroalloys531@gmail.com Ph. No.: 9425138765, 9399719481

सलग्न :- उपरोक्तानुसार।

तब (जानकारी 02 प्रतियो में)

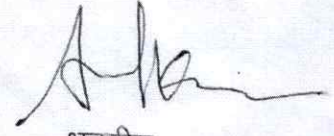
प्रतिलिपि:-

1. वन मंडल अधिकारी (सा.) वन मंडल, दक्षिण बालाघाट, म0प्र0।



  
भवदीय

अर्पण फेरो एलायस

  
भवदीय

अर्पण फेरो एलायस